न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 1/2023 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2023/5

अनवान

1. श्री लालचन्द्र पिता हकरा कलाल निवासी घाटी दरवाजा चौराहा रोड, ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जिला उदयपुर प्रतिस्थापित हाल नगर पालिका ऋषभदेव जरिये अधिशाषी अधिकारी ।
2. श्रीमती कविता भोई पत्नी श्री प्रिंस कुमार निवासी महावीर नगर , बापू बाजार ऋषभदेव उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री भवानीशंकर विपक्षी संख्या 1
3. श्री आशीष दोवडिया विपक्षी संख्या 2

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव के पट्टा दिनांक 29.07.2022
संकल्प संख्या 10 आदेश दिनांक 20.06.2022

*** निर्णय ***

दिनांक–23-10-2024

प्रकरण मे निगरानीकर्ता द्वारा तत्कालिन ग्राम पंचायत ऋषभदेव के मिसल सख्या 31 दिनांक 29.7.2022 संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध निगरानी मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश की जिसके संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे की कृषि भूमि आराजी सख्यां 1393 से 1396 किता 4 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है जिसे नवल चन्द भण्डारी से प्रार्थी के पिता श्री हकरा पिता रूपा ने क्रय किया, पूर्व में वह रहन थी, विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1971 को पंजीकृत हुआ, इस भूमि पर सिंचाई के लिए आराजी सख्या 1258 में स्थित कुआ है जहां से कुण्डी बना पाइपलाईन के माध्यम से आगे नहर बना उक्त भूमि में सिंचाई वर्षो से हो रही है, कुए पर प्रार्थी के पिता श्री हकरा के नाम से बिजली कनेक्शन विगत 50 वर्षो से अधिक समय से ले रखा है, पिता की मृत्यु उपरांत प्रार्थी उत्तराधिकार से हकदार हुआ। वर्णित कुए से लगी हुई आराजी संख्या 1259 है जो हल्का आबादी, ग्राम पंचायत रेकार्ड में दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

है, उस बडी भूमि के एक भाग जो कुए से लगा हुआ होकर इसी आराजी के एक भाग पर निर्मित दुकानों के पीछे स्थित है जिसके उत्तर दक्षिण 70 व पूर्व –पश्चिम 35, कुल 2450 वर्गफीट के भूखण्ड पर प्रार्थी विगत 35 वर्षो से काबिज है जिस पर पूर्व में कच्ची पत्थरों की बाउण्ड्रीवाल बना रखी थी, वर्ष 2017 मे उसे पुनः दुरूस्त कराया जिसका ठेका श्री भगवानलाल पिता मोती जी ओड को दिया था, इतने वर्षो से शांतिपूर्वक प्रार्थी काबिज है इस आराजी के उत्तर दिशा में देवस्थान विभाग के स्वामित्व की आराजी संख्या 1257 स्थित है, दोनो के मध्य कोई मार्ग नहीं है, यानि कि दोनो सटी हुई है। उक्त भूखण्ड पर कब्जा होने से प्रार्थी उसे कब्जे के आधार पर कीमत देकर ग्राम पंचायत से मालिकाना हक प्राप्त करने को सदैव तत्पर व ईच्छुक रहा है, इस हेतु पूर्व में अपनी पुत्रवधु श्रीमती पार्वती देवी के माध्यम से दिनांक 03.05.2005 को भी एक आवेदन विपक्षी संख्या 1 के यहां प्रस्तुत किया था, जिसमें स्वंय को भूखण्ड अलोट कर पट्टा जारी करने का आग्रह किया था, रसीद भी जारी कराई थी, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही की। विपक्षी संख्या 1 पंचायत को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिसूचना दिनांक 24.06.2022 के द्वारा ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण क्षैत्र व समीप के गांव धुलैव, भाउवा, ग्राम पंचायत थाणा के ग्राम थाणा, रायणा को सम्मिलित करते हुए चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित की गई, इसी दिनांक से उक्त क्षैत्र को रा.पंचायतीराज संस्थाओं की सीमओं से पृथक कर दिया गया था, कालान्तर में दिनांक 25.08.2022 के आदेश द्वारा तहसीलदार ऋषभदेव को नवगठित नगरपालिका का अधिशाषी अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था यानि कि दिनांक 24.06.2022 से ग्राम पंचायत ऋषभदेव का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। उक्त प्रकार पंचायत का अस्तित्व समाप्त होने उपरांत पंचायत के सरपंच एवं अन्य लोगो ने विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर बिना किसी आधार के समस्त कार्यवाहियां बेक डेट में करते हुए यह दर्शाकर कि विपक्षी संख्या 1 के आवेदन पर उसे आपसी बातचित के आधार पर रूपये 9,51,000/– में भूमि विक्रय करने का संकल्प संख्या 10 द्वारा पुष्ट करने का उल्लेख करते हुए क्षैत्राधिकार समाप्त होने के बाद दिनांक 29.07.2022 को 1500 वर्गफीट भूमि उक्त आराजी संख्या 1259 में प्रदान करने का एक पट्टा जारी किया जिसके उत्तर में स्वंय (पंचायत) का रास्ता, दक्षिण व पूर्व में स्वंय की भूमि तथा पश्चिम में पदमा जैन की दुकाने दर्शायी है जबकि इस भूखण्ड के उत्तर में देवस्थान की सटी हुई आराजी है, कोई रास्ता नहीं है, पट्टे में रसीद से पैसा उक्त अधिसूचना के बाद 8 व 10 जुलाई, 2022 को जमा होना दर्शाया है, इस कार्य को गुप्त रखा, फिर दिनांक 17.10.2022 को उक्त पट्टे को पंजीकृत कराने हेतु ड्राफ्ट तैयार कराया, जिसमें पट्टे का आधार पुराना कब्जा होने को बताया गया, इस प्रकार समस्त कार्यवाही मिलीभगत से पूर्व तिथि में की गई है, पंजीयन दिनांक 07.11.2022 को किया गया। दिनांक 24.06.2022 को विपक्षी संख्या 1 का अस्तित्व राज्य सरकार द्वारा समाप्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

कर दिया गया, उनकी शक्तियां नगरपालिका में निहित कर दी तब उन्हें दिनांक 8 व 10 जुलाई 2022 को कोई राशि जमा कराने, 29.7.2022 को पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं रह गई, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी पंचायत के अस्तित्व में न रहने से स्वतः समाप्त हो गये थे, फिर भी उनके द्वारा रसीदे काटने, राशि जमा करने एवं पट्टा जारी करने एवं कालान्तर में उसका ग्राम विकास अधिकारी की हैसियत से दिनांक 07.11.2022 को पंजीयन कराने का कृत्य अधिकार विहीन व अवैध व शून्य है। विपक्षी संख्या 2 का न तो मौके पर कभी पुराना कब्जा रहा है, न कोई अधिकार हित या हक ही रहे है। विपक्षी संख्या 2 को लाभान्वित करने के लिए उक्त प्लॉट पर जाने हेतु उत्तर दिशा में एक रास्ता दर्शा दिया गया है जबकि प्रश्नगत आराजी संख्या 1259 के उत्तर ओर दुकाने बनी हुई है, उसके बाद उससे सटी देवस्थान की भूमि है जिसमें कोई रास्ता नहीं है परन्तु फिर भी देवस्थान की भूमि में रास्ता दिखाकर मिथ्या रेकार्ड तैयार किया गया है, ऐसे में पट्टा निरस्त योग्य है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर विगत 35 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त पट्टा की कार्यवाही बेईमानीपूर्ण मिलीभगत से प्रार्थी को क्षति पहुंचाने की मंशा से फर्जी रेकार्ड तैयार कर बैक डेट में आवेदन लेकर, कथित संकल्प एवं कोरम का उल्लेख करते हुए क्षैत्राधिकार समाप्त होने उपरांत प्रदान किया है जो प्रथमदृष्टया अवैध कृत्य होकर आदेश अपास्त योग्य है। पट्टा को पुराने कब्जे के आधार पर देना दर्शाया है जो रा.प.राज नियम 156 के तहत आता है, एवं उस को नियम 160 के तहत 10,000/– रूपये से अधिक की कीमत होने से नियम 154(3) के तहत प्रावधित अधिकारी से कन्फर्मेशन कराना आवश्यक है जो नही कराया है, बल्कि इस बाबत् मिथ्या उल्लेख किया है। अतः निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमा अधीनस्थ पंचायत हाल नगरपालिका ऋषभदेव का रेकार्ड तलब फरमा उनके द्वारा कथित तौर पर दिनांक 29.7.2022 को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे जिसका पंजीयन दिनांक 07.11.2022 को हुआ है, उसका परीक्षण करावें तथा क्षैत्राधिकार विहीन, मिलीभगत से फर्जी रेकार्ड तैयार कर जारी किया गया पट्टा निरस्त करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। अधिनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त पट्टे कोरम दिनांक 20.06.2022, पट्टा दिनांक 29.07.2022 एवं पट्टा पंजीयन दिनांक 07.11.2022 को चुनौति देने का अपील का क्षैत्राधिकार विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव को प्राप्त है एवं पट्टे के पंजीयन को चुनौति माननीय सिविल न्यायालय खेरवाडा को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता दोनो दिनांकों के सम्बन्ध में चुनौति निगरानी के माध्यम से आप न्यायालय में प्रस्तुत करने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी स्वंय आराजी संख्या 1259 हल्का आबादी ग्राम पंचायत ऋषभदेव के खाते होना बताया है, उसके बाद में याचिककर्ता की भूमि हो तो भी उत्तरदाता की जानकारी में नहीं है। प्रार्थी जिस भूमि पर अपना कब्जा एवं बाउण्ड्रीवाल होना बताता है वह वादग्रस्त भूमि नहीं है, अगर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी अपना पुराना कब्जा होना बताता तो ग्राम पंचायत द्वारा उसे कब्जा हटाने के नोटिस भी दिये होंगे और कब्जे के आधार पर भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही भी ग्राम पंचायत से की होगी, लेकिन उससे सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज निगरानीकर्ता ने पेश नहीं किया है जिससे साबित होता है कि निगरानीकर्ता का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं रहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी निगरानी में वर्णित भूमि पर अपने पूर्वजों का कब्जा होना जाहिर किया है, लेकिन उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज भूमि क्रय करने बाबत् प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त कलम में याचिकाकर्ता ने पुत्रवधु के माध्यम से वादग्रस्त भूमि क्रय करने का आवेदन पेश करने का कथन करते है, जिसमें स्वंय ने ही कथित किया है कि उक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में आगे आगे कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि पर याचिकाकर्ता का कभी कब्जा रहा हो। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत ऋषभदेव के खाते दर्ज थी और पुराना कब्जा उत्तरदाता के पूर्वाधिकारियों का होने से ही उत्तरदाता को नियमानुसार उक्त भूमि विक्रय की है। दिनांक 24.06.2022 को ऋषभदेव के ग्राम पंचायत क्षैत्र एवं समीप में आने वाले राजस्व ग्राम धुलैव, भाउवा एवं ग्राम पंचायत थाणा के राजस्व ग्राम थाणा व रायणा के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षैत्र को सम्मिलित करते हुए ऋषभदेव को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित की गई है, लेकिन दिनांक 24.06.2022 को ऋषभदेव ग्राम पंचायत एवं थाणा ग्राम पंचायत को पंचायती राज संस्थाओं की सीमा से पृथक नहीं किया था, जब तक ग्राम पंचायत ऋषभदेव एवं थाणा को पंचायती राज संस्था से पृथक की दिनांक से पूर्व वह ग्राम पंचायत की थी और ग्राम पंचायत से सारे अधिकार जो थे उसी अनुरूप ग्राम पंचायत ऋषभदेव ने उत्तरदाता को पट्टा जारी किया है, क्योंकि दिनांक 14.09.2022 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्था से ऋषभदेव एवं थाणा ग्राम पंचायत की राजस्व सीमा क्षैत्र पंचायत समिति ऋषभदेव जिला उदयपुर को पृथक किया है। इससे पूर्व ग्राम पंचायत का अस्तित्व ग्राम पंचायत के रूप में विद्यमान था, न कि नगरपालिका के रूप में, जब ग्राम पंचायत का पंचायती राज संस्थाओं से पृथक किया उसके बाद ही स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 27.09.2022 को अधिशाषी अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किये गये है और उसी दिनांक को ग्राम पंचायत ऋषभदेव के सरपंच को नगरपालिका का अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत थाणा के निर्वाचित सरपंच को नगरपालिका का उपाध्यक्ष्ज्ञ नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व इनके

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

द्वारा जो भी कार्य किये गये है वह सरपंच की हैसियत से किये गये है। ऐसी स्थिति में दिनांक 24.06.2022 से ऋषभदेव ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त नहीं किया गया है। पट्टे का पंजीयन पट्टा जारी करने की दिनांक से 6 माह की अवधि में कराये जाने का प्रावधान है उसी अनुरूप पट्टे का पंजीयन कराया गया है। उत्तरदाता के पूर्वाधिकारियों का वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा होने से नियमानुसार राशि लेकर 1500 वर्गफिट का पट्टा जारी किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की है। याचिकाकर्ता का वाद वर्णित भूमि पर कभी भी किसी प्रकार से कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि के पास में उनके खेत होने से उसका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं हो जाता। सभी भूमियों की सीमाए अलग–अलग है। वादग्रस्त भूमि ग्राम पंचायत ऋषभदेव के स्वामित्व आधिपत्य की होने से नियमानुसार विपक्षी संख्या 2 को पट्टा जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि को प्राप्त करने के लिए कभी भी ग्राम पंचायत ऋषभदेव में किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया। उत्तरदाता का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होकर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है और निर्माण कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव के खाते की भूमि होने से उसे उक्त भूखण्ड को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होने से भूमि नियमानुसार विक्रय की है। याचिकाकर्ता ने जो जो आरोप लगाये है वो आधारहीन होकर औचित्यहीन है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त तथ्यों एवं रिकार्ड को किसी प्रकार से गलत साबित करने हेतु दस्तावेज को पेश नहीं किया है कि पूर्व में याचिकाकर्ता का किसी प्रकार से वाद वर्णित भूमि पर आधिपत्य रहा हो। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही कर राशि लेकर उत्तरदाता को पट्टा जारी किया गया है, जो विधिसम्मत है। उक्त कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की गई है। उत्तरदाता को जारी किये गये पट्टे की मिसल कायम की गई है। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच आदि को विश्वास में लेकर कोरम में निर्णय लेकर कोरम द्वारा राशि तय की जाकर पंचायत राजकोष में राशि जमा की जाकर नियमानुसार पट्टा जारी किया है जो ग्राम पंचायत के अधिकार क्षैत्र में है। **विशेष कथन पेश** कर निवेदन किया कि विपक्षीगण पर आरोप लगाया है कि पुरानी तारीखों में उक्त पट्टे की कार्यवाही कर पट्टा जारी होना बताया है जबकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, पंचायती राज द्वारा दिनांक 14.09.2022 को ग्राम पंचायत ऋषभदेव एवं ग्राम पंचायत थाणा के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम सीमा क्षैत्र पंचायत समिति, ऋषभदेव जिला उदयपुर को पंचायती राज सीमाओं से पृथक किया गया, न कि दिनांक 24.06.2022 को। दिनांक 24.06.2022 को ऋषभदेव नवगठित नगरपालिका की घोषणा की है। उक्त घोषणा से पंचायतीराज के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते, जब तक पंचायतीराज विभाग अपने विभाग से उक्त पंचायतो को पृथक नहीं कर देत, तब तक ग्राम पंचायत ऋषभदेव के क्षैत्राधिकार के तहत कार्यवाही की गई है। इसलिये भी निगरानी याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। याचिका कर्ता का वादग्रस्त भूमि पर किसी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

प्रकार से कोई कब्जा नहीं रहा और न किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अपने कब्जे बाबत् ही पेश किया है। ऐसी स्थिति में यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता का वाद वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा न था, न है। ऐसी स्थिति में याचिका प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता की निगरानी याचिका निराधार होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि मेरी भूमि के पास वाली जमीन 1971 से कब्जे में चली आ रही है। 2450 वर्गफीट के भूखण्ड पर काबिज होकर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। कब्जे के लिये पट्टा प्राप्त करने हेतु मुझ प्रार्थी द्वारा अपनी पुत्रवधू पार्वती देवी के माध्यम से दिनांक 3.05.2005 को पटटे के लिए आवेदन किया जिसकी रसीद ग्रा.पंचायत ने दी है किन्तु पट्टा की कोई कार्यवाही नही की गई। विपक्षी व ग्राम पंचायत ने पुरानी तारिख में संकल्प पत्र लेकर विपक्षी के नाम पटटा जारी किया है। दिनांक 24.6.2022 को ग्राम पंचायत से नगरपालिका बन गई। ग्राम पंचायत अस्तित्व में नहीं होते हुए भी यह कार्यवाही की है। अतः पट्टा निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दस्तावेज पेश कर अपनी बहस में निवेदन किया कि आपकी जमीन के पास कोई भी जमीन हो तो उस पर आप अधिकार नहीं जमा सकते है। ग्राम पंचायत के खाते की जमीन होकर मेरे दादा ससूर के समय से पुराना कब्जे को देखते हुए पट्टा दिया है। मुझे डीएलसी के आधार पर 951000 लेकर पटटा दिया है। मुझे पट्टा देने का निर्णय दिनांक 20.06.2022 को लिया गया है। तब ग्राम पंचायत अस्तित्व में थी। 27.09.2022 को अधिशाषी अधिकारी की नियुक्ति की गई है। एवं 29.7.2022 को सरपंच को अध्यक्ष बनाया गया है। 27.09.2022 को पट्टा जारी किया गया है । 14.09.2022 को पंचायतीराज का नोटिफिकेशन जारी होकर ग्राम पंचायत को विभाग से अलग किया है। घोषणा से ज्यादा मायने अस्तित्व में आना रखता है। द्वेषता वश यह निगरानी का प्रार्थना पत्र लगाया गया है जो खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि पट्टा लीगल होकर नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाते हुए जारी किया गया है। पट्टा नियमन की श्रेणी मे भी आता है। मार्च में पट्टे की कार्यवाही शुरू कर जून में पूर्ण हुई है। निगरानी खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय के रेकार्ड का अध्ययन किया। रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता का तर्क है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का अस्तित्व समाप्त कर नगरपालिका बना दिया गया है, एवं सरपंच द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

बेकडैट में पट्टा जारी किया गया है इसलिए निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में निम्न मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने की अधिकारिता थी?

उक्त बिन्दु पर हमारा विवेचन है कि–

- क्या ग्राम पंचायत को उक्त पट्टा जारी करने की अधिकारिता थी? – रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थीया श्रीमती कविता भोई द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.03.2022 को ग्राम पंचायत त्रषभदेव में पट्टा जारी करने हेतु लगाया गया। जिसके तहत पत्रावली संख्या 31 दिनाक 31.03.2022 दर्ज की जाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर पट्टा संख्या 19 दिनांक 29.07.2022 को प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अंतरण नियम 156 के तहत जारी किया गया है। पत्रावली के साथ अधिसूचना ग्रामीण विकस एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(41)पंरावि/विधि/नगरपालिका गठन/2022/1209 जयपुर दिनांक 14.09.2022 पेश की गई जिसमें ग्राम पंचायत ऋषभदेव को नगरपालिका बनाये जाने के संबन्ध में पंचायतों को पृथक करने का आदेश जारी हुआ है। मामले में जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ1(अ)1(3)स्था./2020/943 दिनांक 25.08.2022 से तहसीलदार ऋषभदेव को अधिशाषी अधिकारी का कार्यभार दिया गया है। इस अवधि से पूर्व का किसी प्रकार का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि पत्रावली में पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र घोषणा से पूर्व ही ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसमें संकल्प संख्या 10 दिनांक 20.06.2022 से राशि 9,51,000/– नो लाख इक्यावन हजार रूपया ग्राम पंचायत द्वारा जमा किये गये। एवं पंचायत कोरम में निर्णय नोटिंग एन–12 दिनांक 20.06.2022 से कोरम में निर्णय **"अतः श्रीमती कविता पत्नी प्रिन्स भोइ को राजस्व ग्राम धूलेव के आराजी नम्बर 1259 रकबा 0.56 किस्म आबादी भूमि में से उत्तर–दक्षिण 50 फीट तथा पूर्व–पश्चिम 30 फीट इस प्रकार कुल 1500 वर्गफीट भूमि वर्तमान डीएलसी दर से 634/–प्रति वर्गफीट राशि 951000/–रूपये अक्षरे नो लाख इक्यावन हजार रूपये में निम्न पास पडौसी के बीच एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राशि वसुल कर पंचायत कोष में जमा लेकर विधिवत नियम 167(1) का पट्टा जारी करे। पत्रावली में आज्ञाओ की सूची खुली कोरम में पढकर सुनाई गई। पत्रावली रजिस्टर रोल से कम की जावे। तथा पट्टा जारी करने का सर्वसम्मति से आज दिनांक 20.06.2022 के प्रस्ताव संख्या 10 में अनुमोदन किया गया।"** लिया गया। उक्त निर्णय स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.06.2022 से पूर्व जब नगर पालिका की घोषणा नहीं हुई तभी पंचातय जो अस्तित्व में थी के द्वारा पट्टा जारी करने का निर्णय ले लिया गया था। पट्टा जारी करने का निर्णय के वक्त ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

पंचायत अस्तित्व में होकर कोरम में निर्णय पारित किया गया है जो कि नियमानुसार पाया जाता है। निर्णय की पालना में दिनांक 29.07.2022 को पट्टा जारी किया गया है जो कि कोरम दिनांक 20.06.2022 की पालना में लिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश कमांक प8(ड)( )का.भा./डीएलबी/22/2122–2136 दिनांक 29.07.2022 से "ग्राम पंचायत ऋषभदेव(उदयपुर) के निर्वाचित सरपंच को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत थाणा के निर्वाचित सरपंच को नवगठित नगर पालिका ऋषभदेव (उदयपुर) में कमशः उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में निर्वाचित वार्ड पंच को नवगठित नगर पालिका में वार्ड सदस्य समझा जावेगा। " उक्त आदेश से प्रथम दृष्टया यह तो स्पष्ट है कि उक्त आदेश जारी होने के दिन पट्टा जारी हो गया है जो कि ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में ही था। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे की जो कार्यवाही की गई है वह विधिअनुरूप ही की गई है।

अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि पट्टा जारी किया गया था, उस समय नगरपालिका की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन पट्टे की समस्त कार्यवाही नगरपालिका के गठन के पूर्व ही की गई है। पट्टा जारी किया गया था वह भी सरपंच के हैसियत से जारी किया गया है क्योकि दिनांक 29.07.2022 को ही संरपच से अध्यक्ष में परिवर्तन हुआ है अतः यह तो स्पष्ट है कि दिनांक 29.07.2022 को सरंपच पद अस्तित्व में था जो स्वायत्त शासन विभाग के आदेश से उक्त पद अध्यक्ष में परिवर्तित हुआ है। पट्टा कोरम दिनांक 20.06.2022 की पालना में जारी किया गया है, राशि भी दिनांक 20.06.2022 को जमा की गई है। पट्टे की सारी प्रकिया नगरपालिका के गठन से पूर्व की तिथी की है, केवल पट्टा जारी किया गया है वह दिनांक 29.07.2022 को किया गया है, तब तक सरपंच का पद अस्तित्व में था। प्रार्थी द्वारा अपने अपील में यह कहीं पर भी साबित नहीं कराया कि प्रार्थीया जिसमें पक्ष में पट्टा जारी हुआ है वह किस प्रकार से इस पट्टे को प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा पात्रता के आधार पर ही पट्टे की कार्यवाही की गई है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

खारिज किया जाता है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका ऋषभदेव को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर.)